

HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 761] No. 761] नई दिल्ली, बुधवार, भार्च 26, 2014/चैत्र 5, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2014/CHAITRA 5, 1936

स्कन, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2014

का.आ.890 (अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बी. के. हरिप्रसाद, संसद सदस्य, राज्य सभा और श्री मिहिर सुबोधभाई शाह, अहमदाबाद को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1375(अ), तारीख 27 मई, 2013, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 11 और 37 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"11. श्री बी. के. हरिप्रसाद, संसद सदस्य (राज्य सभा)

सदस्य

37. श्री मिहिर सुबोधभाई शाह, अहमदाबाद

सदस्य"

[फा. सं. 1(19)/2013-एनबीएमएसएमई]

अमरेन्द्र सिन्हा, अपर सचिव और विकास आयुक्त

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1375 (अ), तारीख 27 मई, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात वहीं संशोधन सं. का.आ. 3241(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2014

S.O. 890 (E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Central Government hereby appoints Shri B. K. Hariprasad, Member of Parliament (Rajya Sabha) and Shri Mihir Subodhbhai Shah, as member of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises and for the said purpose, makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 1375(E), dated the 27th May, 2013, namely:—

In the said notification, for serial numbers 11 and 37 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely:—

" 11. Shri B. K. Hariprasad, Member of Parliament (Rajya Sabha)

Member

37. Shri Mihir Subodhbhai Shah, Ahmedabad

Member".

[F. No. 1(19)/2013-NBMSME]

AMARENDRA SINHA, Addl. Secy. and Development Commissioner

Note: The principal notification were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 1375(E), dated the 27th May, 2013 and subsequently amended vide notification number S.O. 3241(E) dated 21st October, 2013.